282

390

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

III/निग0/सीधी/भू-रा0/2017/2432

Rs. 30/-

1— बेवा सविता सिंह पत्नी स्व. श्री शिवलाल सिंह

2— जागेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री शिवलाल सिंह

3— योगेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री शिवलाल सिंह

सभी निवासी ग्राम अकौरी तह. रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र.

.....................निगरानीकर्तागण

बनाम्

पृथ्वीराज सिंह तनय रमागोविन्द सिंह निवासी ग्राम अकौरी तह. रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र.

.........................गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री बृजेन्द्र सिंह
कार्यपक्ष 29.7.17

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक एवं प्रभारी नायब तहसीलदार सर्किल हनुमानगढ़/खड्डी तह. रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र. प्र.क. 10 अ 12/16—17 आदेश दिनांक 30.05.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं—

1— यह कि आदेश अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2— यह कि अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना पत्र का अवलोकन किए बगैर इस आधार पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है सीमांकन की पुष्टि करने में वैधानिक भूल की है जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

3— यह कि यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा क्र. 483/1 निगरानीकर्तागण के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है जो आराजी नं. 489/1 के जानिब उत्तर से लगी हुई है। जिसमें निगरानीकर्तागण का कब्जा दखल है और राजस्व नक्शे के विपरीत मौके की स्थिति कायम है व मेड़ पड़ी हुई है जिसे नजरी नक्शा अनुलग्न "अ" में लाल रंग से रंजित कर दिखाया जा रहा है। जिसे निगरानी का एक अंग माना जावे।

4— यह कि अधिनस्थ हल्का पटवारी द्वारा आराजी क्र. 489/1 की कोई नाप किए बिना व 489/1 की कोई फील्ड बुक तैयार किए बिना प्रतिवेदन दिनांक 27.05.2017 में यह दर्शित किया गया है कि आराजी क्र. 489/1 के अंश भाग 0.300 हे. पर सविता सिंह बेवा शिवलाल सिंह वगै. का उपस्थित लोगों द्वारा कब्जा

(282)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / सीधी / भू–रा0 / 2017 / 2432   जिला–सीधी

श्रीमती सविता सिंह / पृथ्वीराज सिंह

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल हनुमानगढ़, तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण क्रमांक 10 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	